

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

उनवान बजरंग सिंह बनाम गोपाल सिंह व अरु

किस्म मुकदमा दण मुकदमा नं० 32 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
	<p>09 <sup>03</sup>/<sub>18</sub>                      वकील वादीगण/वादी श्री <u>सुभाष चन्द्र शर्मा</u>                      ने हाजिर अदालत होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी गण की तलवी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक <u>28.03.18</u> को पेश हो।</p>	<p>1314-29                      13-3-18</p>
<p>02 <sup>05</sup>/<sub>18</sub></p>	<p><u>इकजाही पेशी से</u>                      पत्रावली का हुकम जारी किया                      जज/मजिस्ट्रेट/अधिकारी <u>...</u>                      /अहकाम की तालीम पत्रावली अतिम                      कार्यवाही हेतु दिनांक <u>08.05.18</u>                      को पेश हो।</p>	<p><u>बजरंग सिंह</u></p>
<p>08 <sup>05</sup>/<sub>18</sub></p>	<p>पत्रावली आज राजम लीड अदालत अखियात: न्याय आपडे द्वार कार्यक्रम 2018 के तहत डेम्प स्थल अरु सेवा डेम्प, लोहरवाडा में पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना - एड पेश कर निवेदन किया कि वादी प्रथम को ओर आगे नहीं चलना चाहता है तथा न्यायालय से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः दावा बिट्टा डिपे जाने की अनुमति प्रदान करे। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना - प्रामाणिक किया जाकर दावा बिट्टा डिपे जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही प्रकरण इसी स्तर पर Down की गयी है। पत्रावली फौजल अमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तहसील पाखिल दफतर हो। मिळपि अजमे आम पुनामा गया।</p>	<p><u>...</u>                      8/5/18</p>